कार्यालय भू–प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक / फा / भूप्रआ / समु / भूकर / 11 / 2 / 1 / 2009–10 /   दिनांकः–

भू–प्रबन्ध अधिकारी,
अलवर ।

विषयः– तह0 मुण्डावर, जिला– अलवर के ग्राम उलाहेडी के बन्द की अधिसूचना की प्रति भेजने बाबत्।

प्रसंग– राजस्व ग्रुप–1 विभाग,जयपुर का पत्र क्रमांक प.13(5)राज–1 / 2008 दिनांक 04.11.2019

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा तह0 मुण्डावर, जिला– अलवर के ग्राम उलाहेडी की बन्द की अधिसूचना दिनांक 04.11.20019 अन्तर्गत धारा– 106, 107 एवं 108 प्रसारित कर भिजवाई है, जिसकी छाया प्रतियां संलग्न प्रेषित कर लेख है कि उक्त ग्राम का नवीन अभिलेख राजस्व एजेन्सी को 15 दिवस में सम्भलाकर सूचना मुख्यालय को भिजवाने का श्रम करावें ।

संलग्नः– उपोक्तानुसार

ह0
अति0 भू–प्रबन्ध आयुक्त
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक / फा / समसंख्यक / 2175   दिनांकः– 19-11-2019

प्रतिलिपिः–

1– प्रभारी, आई0टी0शाखा मुख्य कार्यालय,जयपुर को अधिसूचना की छाया प्रति विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु संलग्न प्रेषित है।

अति0 भू–प्रबन्ध आयुक्त
राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक : प0 13(5)राज.–1/2008 — जयपुर, दिनांक 4-11-19

–: अधिसूचना :–

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या–15) की धारा–106 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि तहसील मुण्डावर जिला अलवर के समस्त ग्रामों का पुनः सर्वेक्षण/तरमीम कार्य अधिसूचना क्रमांकः प0 13(5)राज./ग्रुप–1/2008 दिनांक 14.10.2008 के द्वारा प्रारम्भ किया गया था। उक्त तहसील के समस्त ग्रामों में से 140 ग्रामों का सर्वेक्षण/तरमीम कार्य अधिसूचना दिनांक 05.04.2016, 21.02.2017, 15.09.2017, 15.03.2018, 02.07.2018, 01.08.2018, 07.09.2018, 05.10.2018, 06.02.2019, 08.03.2019 एवं 25.09.2019 द्वारा बन्द घोषित किया जा चुका है। शेष ग्रामों में से **01 ग्राम यथा उलाहेडी** का पुनः सर्वेक्षण/तरमीम कार्य पूर्ण हो चुका है। अतः इस अधिसूचना के प्रसारण होने के दिनांक से उक्त ग्राम में सर्वेक्षण/तरमीम कार्य बन्द घोषित किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से

ह0
(राजेन्द्र सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निबन्धक, राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर।
2. जिला कलक्टर, अलवर।
3. भू–प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक भूप्रआ/समु/भूकर/11/2/01/2009–10/633 दिनांक 10.04.2019
4. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रालय, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि राजस्थान राजपत्र के आगामी अंक में उक्त अधिसूचना का शीघ्र प्रकाशन कर प्रकाशित विज्ञप्ति की एक प्रति इस विभाग एवं भू–प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को भिजवाने का कष्ट करें।
5. भू–प्रबन्ध अधिकारी, अलवर।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

राज., जयपुर
पत्र–प्राप्ति
11 NOV 2019
क्रमांक 678

RR/245
11/11/19

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक : प0 13(5)राज.–1/2008 जयपुर, दिनांक 4-11-19

R.R. 11-11-19

–: अधिसूचना :–

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या–15) की धारा–107 व 108 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि तहसील मुण्डावर जिला अलवर के समस्त ग्रामों के अभिलेखों का आंशिक पुनः निरीक्षण कार्य जो अधिसूचना कमांकः प0 13(5)राज./ग्रुप–1/2008 दिनांक 14.10.2008 के अन्तर्गत प्रारम्भ करवाया जाकर निर्दिष्ट संक्रियाओं के भार साधन हेतु भू–प्रबन्ध अधिकारी अलवर को अपर भू–अभिलेख अधिकारी नियुक्त किया गया था। चूंकि उक्त तहसील के समस्त ग्रामों में से 139 ग्रामों में अभिलेखों का आंशिक पुनः निरीक्षण कार्य अधिसूचना दिनांक 05.04.2016, 21.02.2017, 15.09.2017, 15.03.2018, 02.07.2018, 01.08.2018, 07.09.2018 05.10.2018, 06.02.2019, 08.03.2019 एवं 25.09.2019 द्वारा बन्द घोषित किया जा चुका है। शेष ग्रामों में से **01 ग्राम यथा उलाहेडी** का पुनः सर्वेक्षण/तरमीम कार्य पूर्ण हो चुका है। अतः इस अधिसूचना के प्रसारण होने की दिनांक से उक्त 01 ग्राम का आंशिक पुनः निरीक्षण कार्य बन्द घोषित किया जाता है तथा अपर भू–अभिलेख अधिकारी की नियुक्ति निरस्त की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से

ह०
(राजेन्द्र सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निबन्धक, राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर।
2. जिला कलक्टर, अलवर।
3. भू–प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक भूप्रआ/समु/भूकर/11/2/01/2009–10/633 दिनांक 10.04.2019
4. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रालय, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि राजस्थान राजपत्र के आगामी अंक में उक्त अधिसूचना का शीघ्र प्रकाशन कर प्रकाशित विज्ञप्ति की एक प्रति इस विभाग एवं भू–प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को भिजवाने का कष्ट करें।
5. भू–प्रबन्ध अधिकारी, अलवर।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

RR/246 11/11/19

पत्र–प्राप्ति 11 NOV 2019 क्रमांक 679